



सचिका संख्या-21/सू.अ.(न्याय)-98/2019 सा.प्र. 15634/
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

427
05.12.19

उदय कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सभी प्रधान सचिव/सचिव/
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/
सभी जिला पदाधिकारी,

पटना-15, दिनांक 20-11-19

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-7(1) के तहत किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित माँगी जाने वाली सूचना विहित समयावधि के भीतर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-7(1) में यह प्रावधान है कि लोक सूचना पदाधिकारी यथा संभव शीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाय, या तो सूचना उपलब्ध करायेगा या धारा-8 और धारा-9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा। परन्तु, जहाँ माँगी गयी जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहाँ वह सूचना अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।

अतः अनुरोध है कि उक्त अधिनियम की धारा-7(1) के तहत माँगी गयी वैसी जानकारी, जिसका संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहाँ आवेदक द्वारा उपस्थित होकर आवेदन दिया जाय, अथवा वेब पोर्टल से प्राप्त हो, आवेदक को वांछित सूचना 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का निदेश अधीनस्थ सभी लोक सूचना पदाधिकारियों को देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
(उदय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
कृषि विभाग

ज्ञापांक:-13/सू0को0-03/10-

4149

/कृ0, पटना, दिनांक 06-12-2019

प्रतिलिपि:- कृषि निदेशक, बिहार, पटना, निदेशक, विपणन, बि०रा०कृ०वि० पर्षद, (विघटित), पटना, मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, पटना, अपर कृषि निदेशक (प्रसार), बिहार, पटना, निदेशक, भूमि

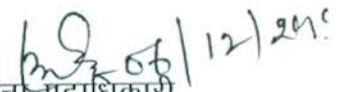
संरक्षण, बिहार, पटना, कम्पनी सचिव, बिहार राज्य बीज निगम, पटना, सभी संयुक्त निदेशक (शष्प), बिहार, पटना, निदेशक प्रशासन, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, निदेशक प्रशासन, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर एवं सभी जिला कृषि पदाधिकारी।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी लोक सूचना पदाधिकारी/अपीलीय प्राधिकार को पत्रगत निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।


लोक सूचना पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-13/सू0को0-03/10- 4149 /कृ0, पटना, दिनांक 06-12-2019
प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. कृपया इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।


लोक सूचना पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।